



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 29.09.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 29.09.2026 को अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना - इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 1,500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते भादवि में मा0 न्याया0एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 1500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त द्वारा बाइक ओवरटेक करके रोककर तमंचे के बल पर वादी की डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक लैपटॉप व 9,500 रु0 छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 118/2017 धारा 394 भादवि में पंजीकृत किया गया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 411 की बढोत्तरी की गई।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 संजय शर्मा व उ0नि0 अरुण कुमार के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तौमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29.09.2026 को धारा 394/411 भादवि में मा0 न्याया0एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 1,500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. संजीव कुमार पुत्र विश्राम सिंह निवासी चकरपुर थाना बिधूना जनपद औरैया।

2. थाना-इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते भादवि में मा0 न्याया0एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 1,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त द्वारा बाइक रोककर मारपीट कर वादी की मोटर साइकिल की टैक्स रसीद, आरसी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक आदि छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 125/2017 धारा 394 भादवि में पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 सतेन्द्र सिंह व उ0नि0 ओमप्रकाश के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तौमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29.09.2026 को मु0अ0सं0 125/2017 धारा- 394 भादवि में मा0 न्याया0एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठिन कारावास व 1,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. संजीव कुमार पुत्र विश्राम सिंह निवासी चकरपुर थाना बिधूना जनपद औरैया ।